

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 726

दिनांक 05/04/2022

प्रार्थीगण :-

- 1.नरसिंगाराम पुत्र भीखाराम
 - 2.गेनाराम
 - 3.मोहनराम पि.सांगाराम
 - 4.धीयादेवी पत्नि सांगाराम, जाति मेघवाल
- निवासी चौहटन आगोर, तहसील चौहटन,

विप्रार्थीगण:-

- 1.निम्बसिंह
- 2.भीखसिंह पि.लक्ष्मणसिंह
- 3.चनणसिंह पुत्र मूलसिंह, जातियान राजपूत निवासी सणाऊ
- 4.रावताराम
- 5.तगाराम
- 6.सांगाराम पि. बालाराम
- 7.गंगाराम पुत्र देवाराम
- 8.मोहन
- 9.धीरा पि.गोरधन
- 10.रावता पुत्र चोला
- 11.द्वारका पुत्र खेता, जातियान सुथार, निवासी चौहटन आगोर
- 12.जोगाराम पुत्र उतमाराम
- 13.लूणाराम पुत्र जेठाराम, जातियान मेघवाल, निवासी चौहटन आगोर, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 152/2021

दिनांक : 04.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा राजीव नगर के खेत खसरा सं. 1495/561 रकबा 71.13 बीघा एवं खसरा सं. 1366/561 रकबा 71.13 भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की पेमाईश करते हुए नेखमबंदी आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 727 to 730

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण नरसिंगाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण निम्बसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 05/04/2022



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन